पूनम पाण्डेय

महिला सशक्तिकरण: कृषि उद्यमिता व तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं का योगदान

भारत सरकार ने किसानों सहित ग्रामीण समाज की आजीविका में सुधार और प्रति व्यक्ति आमदनी में वृद्धि के लिए कृषि उद्यमिता के विकास को एक प्रमुख रणनीतिक क्षेत्र माना है। इसके लिए गहन प्रयास भी जारी हैं। विगत कुछ वर्षों के दौरान कृषि अपने परंपरागत 'खेत खलिहान' के दायरे से आगे निकलकर व्यवसाय और उद्यम के क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। कृषि में उद्यमिता के विकास से सामान्य कृषक को 'उत्पादक' से 'उद्यमी' बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही, तकनीकी रूप से कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्ति भी अपने नए विचारों के माध्यम से लीक से हटकर कृषि उद्यम स्थापित कर रहे हैं। यह निःसंदेह कृषि क्षेत्र में उद्यमिता की अपार सम्भावनाओं को दर्शाता है।

देश के कुल कार्य बल का 54.6 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। अर्थात देश की आधी आबादी को कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त होता है। नाबार्ड द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार भारत में 22 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। देश की आबादी लगातार बढ़ रही है और कृषि ही लोगों के रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र में न्यून और अनिश्चित आय नीति निर्धारकों के लिए चुनौती भी है। कृषि उद्यमशीलता एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा कृषि के क्षेत्र में उद्यमिता की संभावना को अवसर में परिवर्तित किया जा सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उद्यमिता के पदचिन्ह सैकड़ों वर्षों से मौजूद हैं। लेकिन मांग और आपूर्ति का दायरा बहुत सीमित होने के कारण यह क्षेत्र अधूरा ही रहा है।

आज भारतीय कृषि का चेहरा और प्रकृति दोनों तेजी से बदल रहे हैं। कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान के साथ-साथ बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने की अपार क्षमता है। कृषि समाज के कमजोर वर्ग को भी आजीविका प्रदान करती है। आज हम कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता की दृष्टि से दिन-प्रतिदिन मजबूत स्थिति में पहुंच रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पाद का निर्यात 50 बिलियन डालर को पार कर गया था। यह कृषि उत्पाद के क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक निर्यात है। वाणिज्यिक आसूचना (Intelligence) एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात 19.92% से बढ़कर 50.21 बिलियन डालर हो गया। जो एक शानदार वृद्धि दर है। भारत सरकार ने किसानों सहित ग्रामीण समाज की आजीविका में सुधार और प्रति व्यक्ति आमदनी में वृद्धि के लिए कृषि उद्यमिता के विकास को एक प्रमुख रणनीतिक क्षेत्र माना है। इसके लिए गहन प्रयास भी जारी हैं। विगत कुछ वर्षों के दौरान कृषि अपने परंपरागत 'खेत खलिहान' के दायरे से आगे निकलकर व्यवसाय और उद्यम के क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। कृषि में उद्यमिता के विकास से सामान्य कृषक को 'उत्पादक' से 'उद्यमी' बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही, तकनीकी रूप से कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्ति भी अपने नए विचारों के माध्यम से लीक से हटकर कृषि उद्यम स्थापित कर रहे हैं। यह निःसंदेह कृषि क्षेत्र में उद्यमिता की अपार सम्भावनाओं को दर्शाता है।

आधी आबादी और अर्थव्यवस्था

देश की कुल जनसंख्या की आधी आबादी महिलाओं की है और वह राष्ट्रीय एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज देश में हर रोज खेतों में करोड़ों की संख्या में महिलाएं कृषि कार्य में संलग्न हैं। देश के गांव में रहने वाले परिवारों में से 85% लोगों की आजीविका का स्रोत कृषि है और उसमें महिलाओं का योगदान 65% से 70% तक है। वे गृह कार्य करते हुए भी खेतों में काम कर रही हैं। कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार 118.7 मिलियन किसानों में से 30.3% महिलाएं थीं और 144.3 मिलियन कृषि श्रमिकों में से 42.6% महिलाएं कृषि श्रमिक थीं। जिनकी संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। वार्षिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश में कुल 33% महिलाएं खेतिहर

श्रमिक का कार्य करती हैं, जबकि 48% महिलाएं स्वरोजगार कृषक हैं। यह कृषि उद्यमिता क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण का स्पष्ट संकेत है। खेतिहर श्रमिक से कृषि उद्यमी बनने तक का सफर महिलाओं के उत्थान का प्रतीक तो है ही, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की स्वर्णिम संभावनाएं भी प्रबल हुई हैं। कृषि ही नहीं बल्कि कृषि से संबंधित रोजगार में भी महिलाओं की संख्या काफी अधिक है। वार्षिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार लगभग 7.8 करोड़ महिलाएं दूध उत्पादन और पशुधन व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों में सार्थक भूमिका निभा रही हैं। विश्व बैंक द्वारा संकलित 2014-15 के आंकड़े दर्शाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारत की आबादी वास्तव में 65.13% है जिसमें 48% महिलाएं हैं। अर्थात 135 करोड़ आबादी वाले भारत देश की 42 करोड़ महिलाएं गांव में जीवन निर्वहन कर रही हैं और उनमें से लगभग 31.05 करोड़ महिलाएं कृषि कार्य में संलग्न हैं अर्थात ग्रामीण महिलाओं के लिए कृषि उद्यमिता के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं उपलब्ध हैं। ये उद्योग तुलनात्मक रूप से कम निवेश वाले क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में आय स्थापित करने तथा रोजगार प्रदान करने वाले हैं।

स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम

उद्यमियों को कृषि कार्य में सहयोग के अतिरिक्त बाजार उपलब्ध करवाने हेतु कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि विपणन एवं संरचना योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत महिला कृषि उद्यमियों को 33.33% की दर से अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है। वार्षिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य सरकारों को आबंटित धन का लगभग 30% महिला लाभार्थी को देना निर्धारित किया गया है। महिलाओं को कृषि उद्यमिता विकास के लिए एकल विंडो पद्धति के माध्यम से कृषि तकनीक, मशीनीकरण और विपणन आदि सभी उत्तम प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान की जाती है।

इसे देखते हुए विगत दो दशकों से सरकारी योजनाओं द्वारा ग्रामीण महिलाओं को कृषि उद्यमियों के रूप में परिवर्तित करने हेतु अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। ऐसी कुछ योजनाएं निम्नलिखित हैं -

राष्ट्रीय कृषि लिंग संसाधन केंद्र- कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 2005-06 में इस केंद्र की स्थापना की गई थी। इस योजना में कृषि उद्यमिता के लिए क्षमता निर्माण, कृषि इनपुट व आधुनिक मशीनों तक पहुंच तथा तकनीकी प्रशिक्षण के द्वारा महिला कृषकों की भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना हेतु लगभग सभी मुख्य कृषि योजनाओं के लिए आबंटित धन के लगभग 30% भाग को महिला कृषकों के लिए आवंटित करने का फैसला लिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन- इस मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता केंद्र की स्थापना द्वारा कृषि व अन्य उद्यमिता को बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत 1998 में केरल में पहले सरकारी स्वयं सहायता महिला समूह के रूप में 'कुटुंबश्री' नामक संस्था की स्थापना हुई। इसी तर्ज पर महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महामंडल गठित हुआ था। यद्यपि भारत में स्वयं-सहायता समूह

महिला सशक्तिकरण में उच्च शिक्षा की भूमिका

महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम

आज विभिन्न राज्यों में चल रहे स्वयं सहायता केंद्र के कारण महिला कृषि उद्यमिता केन्द्रों ने महिला सशक्तिकरण को नए आयाम दिए हैं। महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान व सशक्तिकरण के लिए उनकी अनभिज्ञता, उदासीनता और अंधविश्वास के अधिकारों को दूर करने तथा एक नई चेतना प्रसारित किये जाने की आवश्यकता है। महिलाएं जैसे-जैसे कारोबार में सफल होंगी उनका स्वयं पर विश्वास बढ़ेगा और वह अपनी अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचान सकेंगी।

के रूप में पहली संस्था 'सेवा' (SEWA) 1970 में ही गठित हुई थी जिसके साथ 'नाबार्ड' ने लिंक परियोजना स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया था।

कृषि विपणन अवसंरचना (AMI)-उद्यमियों को कृषि कार्य में सहयोग के अतिरिक्त बाजार उपलब्ध करवाने हेतु कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि विपणन एवं संरचना योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत महिला कृषि उद्यमियों को 33.33% की दर से अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है। वार्षिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य सरकारों को आबंटित धन का लगभग 30% महिला लाभार्थी को देना निर्धारित किया गया है। महिलाओं को कृषि उद्यमिता विकास के लिए एकल विंडो पद्धति के माध्यम से कृषि तकनीक, मशीनीकरण और विपणन आदि सभी उत्तम प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान की जाती है।

शिक्षण विस्तार संस्था (EIS)-इस परियोजना के द्वारा महिलाओं को कृषि उद्यमिता के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। उनके लिए कार्यशाला, आधुनिक मशीनों के तकनीकी प्रयोग का प्रदर्शन, खुली सभाएं, सम्मेलन आदि के आयोजन द्वारा कृषिगत आवश्यक सूचना प्रणाली, नई तकनीकों व विधियों के प्रयोग आदि पर चर्चाएं होती हैं। इस योजना के तहत कृषि उद्यमिता क्षेत्र में ज्ञान संवर्धन व प्रशिक्षण हेतु 2015 से कृषि विज्ञान केंद्र एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न उद्योगों में ट्रेनिंग के लिए अनुदान के साथ कम दर पर DISI (कृषि अन्तर्वेश के लिए कृषि विस्तार विज्ञान में डिप्लोमा) के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। वार्षिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2021 में महिलाओं के लिए 106 प्रकार के उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु देशभर में 1446 प्रशिक्षण विस्तार केंद्र आरंभ किए गए थे।

महिलाओं के लिए खाद्य सुरक्षा समूह-इस योजना के अन्तर्गत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए प्रति ब्लॉक दो महिला कृषि कामगार समूह का गठन कर उन्हें रु. 10000 दिए जाते हैं। प्रत्येक राज्य में एक जेंडर समन्वयक के द्वारा कृषि क्षेत्र में लगी महिलाओं को उनकी आवश्यकता अनुरूप सहायता अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है। सन् 2005-06 से आरंभ हुई इस योजना में दिसंबर 2020 तक लगभग 1.37 करोड़ महिला कृषकों को लाभ हुआ है। वर्ष 2020-21 में प्रशिक्षण, किसान मेला, तकनीकों के प्रदर्शन आदि के द्वारा तकरीबन 32.4 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-इसमें महिला सहकारी समितियों की सहायता से अनाज प्रसंस्करण, तिलहन प्रसंस्करण, कटाई मिलों, हथकरघा, पावरलूम बुनाई और समेकित विकास परियोजनाओं आदि से संबंधित कार्य कर रही महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में विशेष रूप से स्वीकृत 6 परियोजनाओं में 90.26 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण संघ का गठन किया गया है जिसके तहत वर्ष 2020-21 के दौरान 38.78 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - महिलाओं की कृषि उद्यमिता की आवश्यकता अनुरूप क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत उन्हें कृषि से संबंधित तकनीकी ज्ञान जैसे उच्च कोटि बीज, खाद, कीटनाशक, मशीन टूल्स एवं तकनीकी के क्रियान्वयन से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत महिला कृषि उद्यमिता के साथ-साथ देश में खाद्यान्न के उत्पादन में अच्छी समृद्धि हुई है। वर्तमान में यह योजना 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना- इसके अंतर्गत 58,295 कृषि सखियों को और 735 राज्यस्तरीय संसाधकों को प्रशिक्षित किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में देश भर में कृषि विकास केंद्रों (KVK) के द्वारा 1.23 लाख महिला कृषकों को विशिष्ट कृषि उद्यमिता के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। इस योजना के अधीन ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए अलग से महिला किसान सशक्तिकरण की भी

शुरुआत की गई है।

महिला उद्यमिता विकास स्टार्टअप

इसका लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को एक ही छत के नीचे वित्तीय सहायता, ऋण, प्रशिक्षण, डोमेन एवं फंक्शनल निर्यात द्वारा प्रबोधन, विपणन प्रबंधन और प्रोत्साहन राशि व सहायता आदि उपलब्ध कराना है। इन्हीं स्टार्टअप के जरिए भारत विश्व भर में दूध, केला, आम, मसाले, झींगा मछली, चाय, दाल और सब्जियों का बड़ा निर्यातक देश बन कर उभरा है। नेसकॉम के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में कृषि क्षेत्र में 2250 से अधिक स्टार्टअप हैं। जिसके जरिए नवंबर 2021 तक लगभग 24.1 बिलियन अमेरिकी डालर जुटाए गए थे।

वार्षिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार

ग्राम उद्यमिता कार्यक्रमः स्टार्टअप से महिला सशक्तीकरण

ग्राम उद्यमिता कार्यक्रमः स्टार्टअप से महिला सशक्तीकरण

देशभर के 30 राज्यों व 06 केंद्र शासित प्रदेशों के 6769 विकास खंडों के अंतर्गत लगभग 8.01 करोड़ महिलाओं के द्वारा 73.19 लाख स्वयं सहायता समूह संचालित हैं। जिसके अंतर्गत महिलाएं सफलता से कृषि उद्यमी के रूप में व्यवसाय कर रही हैं। सरकार द्वारा महिलाओं का उत्साहवर्धन करने और उद्यमिता के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की पिछड़ी हुई महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु 2021 में महिला किसान दिवस पर 75 सफल महिला कृषि उद्यमियों की कहानी प्रकाशित की गई। ऐसी प्रगतिशील महिला उद्यमियों की कथा गांव के अशिक्षित महिलाओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से दो लघु फिल्मों जैसे 'प्रगतिशील कृषक महिलाओं की कहानियां' और 'वैश्विक स्तर पर महिला किसानों की सफलता की कहानी' का निर्माण कराया गया। जिसकी कहानी कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर केंद्रित थी। ये दोनों फिल्में कृषि राज्य मंत्री के द्वारा 15 अक्टूबर 2020 को रिलीज की गईं। महिला कृषि उद्यमी 'किसान चाची' के प्रेरणादाई जीवन पर बनी बायोपिक 'कस्तूरी' भी इसी श्रृंखला की अगली कड़ी है। इसके अतिरिक्त महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने हेतु महिला उद्यमियों के लिए अलग से पुरस्कार वर्ग भी निर्धारित किये गये हैं।

निष्कर्ष

आज विभिन्न राज्यों में चल रहे स्वयं सहायता केंद्र के कारण महिला कृषि उद्यमिता केन्द्रों ने महिला सशक्तिकरण को नए आयाम दिए हैं। महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान व सशक्तिकरण के लिए उनकी अनभिज्ञता, उदासीनता और अंधविश्वास के अधिकारों को दूर करने तथा एक नई चेतना प्रसारित किये जाने की आवश्यकता है। महिलाएं जैसे-जैसे कारोबार में सफल होंगी उनका स्वयं पर विश्वास बढ़ेगा और वह अपनी अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचान सकेंगी।

संपर्क करें:

पूनम पाण्डेय

हाउस नं. 70, बड़ी बाग कॉलोनी,
निकट मजार लंका मैदान,
गाजीपुर-233 001
(उत्तर प्रदेश)
मो. 6265083116